न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 02/2023

बउनवान

लक्ष्मीचन्द पुत्र औंकार, जाति कुम्हार, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–
1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 12.09.2023

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 27.02.2023 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1708/2583 रकबा 0.80 है., किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 960/– रूपये अर्थदण्ड एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बगैर केवल मात्र हल्का पटवारी झूटी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चावर्ती अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है ना ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब कर त्रुटि की है। [illegible] पेशा व्यक्ति है, मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अपीलांट के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत निर्णय प्रदान किया है। अतः अपील स्वीकार की [illegible] अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.02.2023 निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:11 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बगैर केवल मात्र हल्का पटवारी झूटी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चावर्ती अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है ना ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.02.2023 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 140/21 निर्णय दिनांक 19.02.2021 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अपीलांट को नोटिस की विधिवत् तामिल हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1708/2583 रकबा 0.80 है0 ग्राम बमोरीकलां पर सम्वत् 2077 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 140/21 में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2021 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 379/23 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2[illegible] सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:11 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर
बारां (राज०)